प्ररूप सं. 3गङक

[नियम 6ज *देखिए*]

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50ख की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती द्वारा मंद विक्रय की दशा में पूँजी अभिलाभों की संगणना के संबंध में प्रस्तुत की जाने वाली किसी अकांउटेंट की रिपोर्ट

1. मंद विक्रय करने वाले निर्धारितो की विशिष्टियाँ

(*क*) नाम .....

(*ख*) पता .....

(*ग*) [1]**[**स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक**]** .....

(*घ*) कारबार की प्रकृति .....

2. मंद विक्रय के रूप में अंतरित उपक्रम या प्रभाग के ब्यौरे

(*क*) पता/अवस्थान .....

(*ख*) कारबार की प्रकृति .....

3. उस व्यक्ति का नाम, पता और [1]**[**स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक**]**, जिसने मद 2 में निर्दिष्ट उपक्रम या प्रभाग को क्रय किया है। .....

4. मद 2 में निर्दिष्ट उपक्रम या प्रभाग के मंद विक्रय की तारीख .....

5. मद 2 निर्दिष्ट मंद विक्रय के लिए प्राप्त प्रतिफल की राशि। .....

6. मद 2 में निर्दिष्ट उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य :

(*क*) अवक्षणीय आस्तियों की दशा में मंद विक्रय के रूप में अंतरित उपक्रम या प्रभाग की आस्तियों का ऐसा अवलिखित मूल्य, जिसे धारा 43 के खंड (*6*) के उपखंड (*ग*) की मद (*i*) की उपमद (*ग*) के अनुसार अवधारित किया गया है। .....रुपए

(*ख*) अन्य आस्तियों की दशा में, ऐसी आस्तियों का बही मूल्य .....रुपए

(*ग*) मंद विक्रय के रूप में अंतरित उपक्रम या प्रभाग की कुल आस्तियों का कुल मूल्य [(*क*) + (*ख*)] .....रुपए

(*घ*) उपक्रम या प्रभाग से संबद्ध लेखा बहियों में यथा दर्शित दायित्यों का मूल्य .....रुपए

(*ङ*) उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य [(*ग*) - (*घ*)] .....रुपए

---

1. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

.....

हस्ताक्षरित

***अकाउंटेंट*

प्रमाणन

*मैनें/हमने.....(नाम)

..... (निर्धारिती का नाम और पता)

के तारीख.....को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं और अभिलेखों की जांच की है।

*मैंने/हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण अभिप्राप्त कर लिए हैं जो मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार मंद विक्रय के रूप में अंतरित उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य को अभिनिश्चित करने और उसकी संगणना करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

*मैं/हम यह प्रणामित करता हूँ/करते हैं कि उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 50ख के उपबंधों के अनुसार सही रूप से की गई है।

.....

हस्ताक्षरित

***अकाउंटेंट*

स्थान .....

तारीख .....

टिप्पण :

1. *जो लागू न हो, उसे काट दें।
2. **अकाउंटेंट से आयकर अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए *स्पष्टीकरण* में यथा परिभाषित अकाउंटेंट अभिप्रेत है।
3. आस्तियों के पुनःमूल्यांकन के मद्दे आस्तियों के मूल्य में किसी परिवर्तन की, मद 6 में की राशियों को दर्शित करते हुए, अनदेखी की जाएगी।
4. यंह प्ररूप आय की विवरणी के साथ फाइल किया जाएगा और इसके साथ लाभ और हानि लेखा तथा तुलन पत्र की या आयकर अधिनियम की धारा 139 के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षित लाभ और हानि लेखा तथा तुलन पत्र की प्रतियां भी संलग्न होंगी।
5. मंद विक्रय के रूप में अंतरित प्रत्येक उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना को पृथक् रूप से दर्शित करें।